

एफ9(1)2016/वेलफ़ेयर/डी.डी.ए./३९८

दिनांक: १९-१२-१९

कार्यालय आदेश

परिपत्र संख्या एफ9(1)2016/वेलफ़ेयर/डी.डी.ए./381 दिनांक 10-12-2019 के जारी होने के क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि मद संख्या 7 के अंतर्गत मनोरंजनात्मक/आध्यात्मिक टूर दिनांक 21-12-2019 को आयुक्त (कार्मिक) महोदय के आदेशानुसार अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली ले जाना तय हुआ था जो कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।



उप निदेशक (कल्याण)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.के विशेष कार्य अधिकारी/आयुक्त को माननीय उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के सूचनार्थ।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को वित्त सदस्य के सूचनार्थ।
3. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को अभियंता सदस्य के सूचनार्थ।
4. प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
5. प्रधान आयुक्त (आवास, पी.एम.आई.एस., एवं सी.डब्लू.जी), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
6. प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
7. मुख्य सर्तकता अधिकारी, दि.वि.प्रा।
8. मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा।
9. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा।
10. सभी आयुक्त, दि.वि.प्रा।
11. सभी मुख्य अभियंता, दि.वि.प्रा।
12. मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा।
13. मुख्य वास्तुविद, दि.वि.प्रा।
14. वित्त सलाहकार (आवास), दि.वि.प्रा।
15. सभी निदेशक/अधीक्षण अभियंता, दि.वि.प्रा।
16. सभी उप निदेशक/अधिशासी अभियंता, दि.वि.प्रा।
17. उप निदेशक (प्रणाली) को इस परिपत्र को दि.वि.प्रा. की वैबसाइट पर अपलोड करने तथा दि.वि.प्रा. सर्वर पर एस.बी.एफ. सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
18. सभी कल्याण निरिक्षकों/कल्याण अधिकारी को उनके सबंधित ज्ञान में प्रचार के लिए परिपत्र की अतिरिक्त प्रति के साथ।
19. सूचना बोर्ड, विकास सदन/विकास मीनार।